आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय,गिरिडीह। (Email id-dccourt.grd@gmail.com) **Mutation Revision Case No.**–06 / 2023 **सोनिया देवी–बनाम–राज्य एवं महेन्द्र प्रसाद वर्मा**	आदेश पर गई कार्रवा बारे मे ति तिथि सहित
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	

17.02.25

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। प्रस्तुत **दाखिल–खारिज रिवीजन वाद सं0 06 / 2023** भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह के न्यायालय में निष्पादित ऑनलाईन दाखिल–खारिज वाद सं0 445 / 2022–23 **महेन्द्र प्रसाद वर्मा बनाम अंचल अधिकारी, बेंगाबाद वगै0** में दिनांक 15.02.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस पुनरीक्षण वाद को सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.2023 को स्वीकृति प्रदान करते हुए विभिन्न तिथियों में सुनवाई की गई।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क, सरकारी अधिवक्ता का अभिकथन, अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज, निम्न न्यायालय अभिलेख एवं आदेश के अवलोकन तथा परिशीलन के उपरांत निम्न तथ्य परिलक्षित होता हैः–

1. यह कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह के न्यायालय में निष्पादित दाखिल–खारिज अपील वाद सं0 445 / 2022–23 महेन्द्र प्रसाद वर्मा बनाम अंचल अधिकारी, बेंगाबाद वगै0 में दिनांक 15.02.2023 को पारित आदेश में वर्णित है कि अपीलकर्त्ता (महेन्द्र प्रसाद वर्मा) तेजो महतो (खतियानी रैयत) के पुत्र शोभा महतो के वंशज है, जबकि विपक्षी सोनिया देवी को जमीन बिक्री करने वाले टीपन महतो वगै0 नन्हकू महतो एवं केहर महतो के वंशज है।

2. यह कि केहर महतो एवं नन्हकू महतो, जिनका नाम खतियान में दर्ज नहीं है के वंशजो द्वारा सिविल न्यायालय, गिरिडीह में बटवारा वाद सं0 16 / 2008 दायर किया गया है, जो अवर न्यायाधीश (प्रथम) के न्यायालय में लंबित है।

3. यह कि इस न्यायालय में भी Revisionist के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के क्रम में कोई ऐसा साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जो वादगत भूमि पर अपिलार्थी का दखल–कब्जा होने की पुष्टी करता हो, जो की नामांतरण का मूल आधार होता है।

4. यह कि समशेर सिंह–बनाम–आयुक्त, पटियाला डिवीजन, पटियाला एवं अंन्य, CWP No 16338 of 2011 में माननीय पंजाब–हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अंश उल्लेखनीय है "It has come to the notice of this Court that even if Civil Suit involving question of title and inheritance is pending, authorities are proceeding with the mutation cases and litigants are being advised and misled to file appeals and revisions before the higher revenue authorities while mutation order by the revenue authorities shall be of no avail in view of the pendency of the Civil Suit and ultimately mutation is to be carried out as per the ultimate decision in the pending civil suit. This is the classical example of multiplicity of the litigation" उक्त के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह के न्यायालय में निष्पादित ऑनलाईन दाखिल–खारिज अपील वाद सं0 445/2022–23 महेन्द्र प्रसाद वर्मा बनाम अंचल अधिकारी, बेंगाबाद वगै0 में दिनांक 15.02.2023 को पारित आदेश जिसमें उभय पक्षों को सिविल न्यायालय जाने हेतु आदेश पारित किया गया है, विधिसम्मत एवं उचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह के न्यायालय में निष्पादित ऑनलाईन दाखिल–खारिज अपील वाद सं0 445/2022–23 महेन्द्र प्रसाद वर्मा बनाम अंचल अधिकारी, बेंगाबाद वगै0 में दिनांक 15.02.2023 को पारित आदेश से संतुष्ट होते हुए, Revisionist के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आवेदक सक्षम न्यायालय जाने हेतु स्वतंत्र है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्षों को उपलब्ध करायी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/- 17/02/25
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ह0/- 17/02/25
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ज्ञापांक 278 / न्या0, दिनांक 17/02/2025

प्रतिलिपिः– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह एवं अंचल अधिकारी, बेंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/02/25

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

Digitally signed by Naman Priyesh Lakra
Date: 2025.03.01 16:10:44 +05:30
Location: 192.168.0.123